

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक— प.1(3)राज-6/2011/पार्ट /13

जयपुर, दिनांक: 16.10.2014

अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30) की धारा 26 की उप-धारा (2) सपष्टित अनुसूची प्रथम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा अधिसूचित करती है कि ग्रामीण क्षेत्र की दशा में निकटतम शहरी क्षेत्र सीमा से अवाप्ति हेतु प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पेकेज के निर्धारण हेतु बाजार मूल्य को निम्नानुसार कारकों (Multiple Factor) से गुणा किया जावे :—

शहरी क्षेत्र से दूरी

कारक जिनसे बाजार मूल्य गूणित किया जावे

0-15 कि.मी. तक	1.25
15 कि.मी. से 30 कि.मी. तक	1.50
30 कि.मी. से अधिक	1.75

स्पष्टीकरणः— जयपुर, जोधपुर व अजमेर के लिए विकास प्राधिकरणों की सीमा तक के क्षेत्र तथा विकास प्राधिकरणों से भिन्न शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम/नगर परिषद/ नगर पालिका सीमा तक के क्षेत्र, जिसमें उक्त स्थानीय निकायों के निर्वाचन के समस्त वार्ड क्षेत्र सम्मिलित है, को शहरी क्षेत्र सीमा में माना जावेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

(अनिल कुमार अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री जी/राजस्व मंत्री जी।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
3. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समरत जिला कलेक्टर, राजस्थान।
6. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को 16/X/2014 असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव